कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/सी–1/स्थानांतरण/अंग्रेजी/2019–20 दिनांक–29.09.2019 के तहत् रामावतार शर्मा व्याख्याता, अंग्रेजी, लाम्बा हरिसिंह, टोंक का स्थानांतरण राउमावि कादेडा, अजमेर किया गयरामावतार शर्मा द्वारा स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में अपील संख्या 3292/2019 रामावतार शर्मा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3292/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक 22.11.2019 द्वारा अपीलार्थी रामावतार शर्मा के सम्बंध में प्रत्यथी विभाग को प्रति प्रेषित की जा कर नियमानुसार अपीलार्थी का नवीन पदस्थापन आदेश पारित करने के आदेश प्रदान किये है।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा पदस्थापन राउमावि राजपुरा, मालपुरा, टोंक किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

माननीय अधिकरण के निर्णय की अनुपालना में अपीलार्थी रामावतार शर्मा का समायोजन राउमावि राजपुरा, मालपुरा, टोंक में व्याख्याता अंग्रेजी के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। रामावतार शर्मा को निर्देशित किया जाता है कि ये अपने समायोजित स्थान पर व्याख्याता अंग्रेजी के रिक्त पद पर दिनांक ....10.12.19........ तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें। इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

सभी पक्षकार सूचित होवें।

(नथमल डिडेल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/सी–1/अंग्रेजी/अपील सं. 3292/रामावतार शर्मा/2019/ दिनांक:– 03/12/19

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा,
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जयपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा को मय आवश्यक संलग्नक आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्रधानाचार्य
9. रामावतार शर्मा , व्याख्याता, अंग्रेजी।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर